जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 211 वीं बैठक दिनांक 10.03.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या–1, 2, 3, 4 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1, 7, 8, 9 एवं 10 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी–।) द्वारा एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2, 3, 4, 5 एवं 6 तक अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं बैठक में लिये गये निर्णयो का कार्यवाही विवरण संबंधित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किये गये है, जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी–।)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
4. डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–16 एवं 17, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती विनिता सिंह, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–13, 16, 17, 18 एवं 19, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती नेहा खण्डेलवाल, सहायक नगर नियोजक, (एम.पी/एल.पी) जविप्रा, जयपुर।
11. सुश्री अमिता सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

<u>एजेण्डा</u>

211 / 10.03.2014

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 210 वीं बैठक दिनांक 26.02.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 210 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2014 / डी–253 दिनांक 04.03.2014 को जारी किये जा चुके हैं।

<u>एजेण्डा–1</u>

211 / 10.03.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–75 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान 75 के एजेण्डा विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर आम जनता से 30 दिवस की अवधि मे आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्या–2</u>

211 / 10.03.2014 (जोन–6)

विषय :– श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार–18 में स्थित 60 फीट सेक्टर रोड़ को मौके अनुसार 30 फीट करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :–

(i) प्रस्तावित 60 फीट सेक्टर रोड की चौडाई यथावत 60 फीट रखी जावें।

(ii) भवन विनियम 2010 के Clause no. 8.8 (iii) के अनुसार सड़क की चौड़ाई हेतु भूखण्डों में से भूमि लिये जाने के पश्चात् अग्र सेटबेक, भूमि समर्पण के पश्चात समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर कम माना जावें।

(iii) सेक्टर रोड के मध्य आ रहे जंक्शन का मौका स्थिति के अनुसार विद्यमान सडक को आधार मानकर अलाईमेंट में आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–3

211 / 10.03.2014 (जोन–6)

विषय :– सुभाष सिंधी गृ.नि.स.स. की योजना के भूखण्ड स. 59 व 62 सेक्टर रोड़ के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निरस्त किया गया।

एजेण्डा संख्या–4

211 / 10.03.2014 (जोन–13)

विषय :– मास्टर विकास योजना–2025 के भाग–4 के अनुसार पिकनिक हट्स में सड़क की चौड़ाई बाबत्।

मास्टर विकास योजना–2025 भाग–4 के भू–उपयोग जी–3 के अनुसार पिकनिक हट्स गतिविधि बाबत सड़क की चौडाई उल्लेखित नही है। उक्त प्रकरण में सड़क चौडाई के निर्धारण के संबंध में विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना–2025 भाग–4 के भू–उपयोग जी–2 में उल्लेखित पिकनिक हट्स के मानदण्ड अनुसार ही न्यूनतम सड़क चौडाई 18 मीटर रखी जावें।

अति. एजेण्डा संख्या–1

211 / 10.03.2014 (जोन–8)

विषय :– सेक्टर प्लान की 24 मीटर सड़क को विलोपित किये जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेंड़ा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा विद्यमान रास्ते को ही आधार माने जाने के प्रस्ताव अनुसार सेक्टर प्लान की 24 मीटर सडक को प्रस्तावित स्थल से दक्षिण की ओर उन्ही खातेदारों की भूमि से समान सेक्टर की चौडाई(24 मीटर) मार्गाधिकार रखते हुए आंशिक संशोधन करते हुए अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–2

211 / 10.03.2014 (जोन–9)

विषय :– आशियाना ग्रीनवुड डवलपर्स जरिये संदीप बंसल की टोडी रमजानीपुरा (सांगानेर) के खसरा नम्बर नं. 90 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि का आवासीय फ्लेट्स हेतु एकल पट्टा बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड के पीछे स्थित नाले से सेफ्टी कोरीडोर में 30 फिट सड़क के स्थान पर हरित क्षेत्र विकसित किया जावे। इस हरित क्षेत्र एवम् नाले का पूर्ण रख–रखाव भूखण्डधारी द्वारा किया जायेगा, इस शर्त पर हरित क्षेत्र एवम् सेक्टर सड़क से प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर शेष भूखण्ड का आवासीय फ्लेट्स के भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया जावे।

अति. एजेण्डा संख्या–3

211 / 10.03.2014 (जोन–7)

विषय :– तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना नेमी सागर की पूर्व में गैर अनुमोदित योजना की दुकान संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6 को नियमन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत दुकानो की स्वीकृति के संबंध में प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत सुविधायें, वर्तमान में लोक सभा चुनाव 2014 की आचार सहिंता के प्रभावी होने के कारण दिया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–4

211 / 10.03.2014 (जोन–7)

विषय :– गुलाबबाडी भवन निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना गुरू जम्बेश्वर नगर–ए की समिति द्वारा आवंटन दुकान संख्या–1, 2 व 3 के नियमन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत दुकानो की स्वीकृति के संबंध में प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत सुविधायें, वर्तमान में लोक सभा चुनाव 2014 की आचार सहिंता के प्रभावी होने के कारण दिया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–5

211 / 10.03.2014 (जोन–14ए)

विषय :– मैसर्स पालीवाल कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय–9, राजस्थली के पीछे अजमेरी गेट, जयपुर जरिये श्री रवि प्रकाश पालीवाल के द्वारा ग्राम मथुरावाला तहसील–सांगानेर के खसरा नम्बर 126 / 3 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर–127 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 128 / 3 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 / 1 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 / 3 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 हैक्टर भूमि क्षेत्रफल 15376.95 वर्ग मीटर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के उपविभाजन हेतु बाबत।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल 14492.10 वर्गमीटर का उप–विभाजन स्वीकृत किया जावें एवम् नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उप–विभाजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

अति. एजेण्डा संख्या–6

211 / 10.03.2014 (जोन–12)

विषय :– सनराईज सिटी आवासीय योजना राजस्व ग्राम निवारू, तहसील–जयपुर के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में ग्रुप हाउसिंग की जारी लीज डीड उपायुक्त जोन द्वारा समर्पित करवायी जावें एवम् संशोधित योजना मानचित्र के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जावें।

अति. एजेण्डा संख्या–7

211 / 10.03.2014 (जोन–4)

विषय :– न्यू पिंकसिटी गृ.नि.स.स. की योजना सिद्धार्थ नगर–सी के भूखण्ड़ सं. नया सी–162 से 165, नया सी–184 से 192 व नया सी–212 से 216 कर पुनर्गठन करने बाबत्।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श किया गया कि जोन द्वारा अनुमोदित मानचित्र में भूखण्डो के आगे की 80 फीट सडक को क्रोस दर्शा रखा है परन्तु उक्त सडक के सामने के आवासीय भूखण्डों की लीज डीड जारी की जा चुकी है। अतः आवेदित भूखण्डों का पुनर्गठन किये जाने से पूर्व, भूखण्डो का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से ज्यादा होने के कारण राज्य सरकार की सक्षमता में आने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें।

अति. एजेण्डा संख्या–8

211 / 10.03.2014 (जोन–4)

विषय :– सवाई माधोपुर रेलवे लाईन के पूर्व की तरफ अनुमोदित 100'–0'' चौड़ी सड़क को विलोपित करते हुए माधव गृ.नि.स.स. समिति योजना, चन्द्र नगर योजना के भूखण्ड संख्या–7 से 25 व 84 से 86 के नियमन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि रेलवे प्रशासन से प्राप्त पत्र दिनांक 14.02.2014 के अनुसार ही जोन द्वारा उक्त पत्र के क्रम में कार्यवाही की जावे एवं तब तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–9

211 / 10.03.2014 (जोन–16)

विषय :– पृथ्वीराज नगर मे कनकपुरा रेलवे स्टेशन से गोविन्दम टावर, कालवाड रोड तक सेक्टर प्लान की स्वीकृति 120 फीट चौडी सेक्टर रोड के अलाईमेंट के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श पश्चात् 120 फीट रोड का अलाईमेंट यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अति. एजेण्डा संख्या–10</u>

211 / 10.03.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– प्रारूप रोड सेक्टर प्लान 76 के अनुमोदन बाबत्।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श पश्चात एजेण्ड़ा को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

19.3.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / मा. प्लान / बीपीसी (एलपी) / 2014 / डी–259
दिनांकः 19/3/14

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयेाजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

19.3.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।